न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 71/2023
GCMS No- 2023/221

राजकीय संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय कारूण्डा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।
–प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार – स्वंय उपस्थित प्रार्थी

::निर्णय:: दिनांक 27.04.2023

1. उक्त प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि –प्रशासन गांव के संग शिविर मंहगाई राहत केम्प कारूण्डा ग्रा0प0 कारूण्डा ग्राम कारूण्डा में शिविर के दौरान राजकीय वरि0 उमा0 संस्कृत वि0 कारूण्डा के प्रधानाचार्य ने उपस्थित होकर राजस्थान ले0 रे0 एक्ट की धारा 136 में खेल मैदान में तरमीम दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खेल मैदान की तरमीम दुरस्ती हेतु विद्यालय की तरफ से कई बार तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा को प्रार्थना पत्र पेश किये गये मगर खेल मैदान की तरमीम दुरस्ती भू प्रबंध को 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी तरमीम दुरस्ती नही हो सकी हैं । खेल मैदान के चारो तरफ बाउंड्री वाल निर्मित होकर 25 वर्षो से विद्यालय के खेल मैदान में प्रयोग हो रहा हैं तथा स्टेडियम निर्माण का कार्य वर्तमान में चालू हैं । राजकीय योजनाओं की राशि का उपयोग खेल मैदान हेतु करने में गलत तरमीम होने से समस्या आ रही हैं । अतः केम्प के दौरान की तरमीम दुरस्ती कराने हेतु प्रार्थना पत्र देते हुए मौखिक निवेदन किया । ग्राम कारूण्डा के साबिक आराजी नम्बर 348 मे से 5 बीघा भूमि का खेल मैदान हेतु आंवटन 1997 में श्रीमान् जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ द्वारा किया हुआ हैं । आंवटन के समय से ही विद्यालय का खेल मैदान कारूण्डा से धनोरा जाने वाली सडक के पास उत्तर दिशा में होकर पक्की वाउण्ड्री वाल बनी हुई हें और खेल मैदान के उपयोग हो रही हैं । मिलान क्षैत्रफल अनुसार उक्त खेल मैदान के आराजी नम्बर 968/348 के नवीन भू प्रबंध आराजी नम्बर 578 रकबा 1.27 हे0 होकर प्रार्थी राज0 संस्कृत उच्च मा. वि. कारूण्डा के नाम दर्ज हैं । उक्त खेल मैदान के बटा नम्बर 968/348 का गत भू प्रबंध पटवार हल्का नक्शा में तरमीम नही हुआ था । आराजी नम्बर 348 बडे रकबे का होने से नवीन भू प्रबंध द्वारा उक्त खेल मैदान का तरमीम मौका पर बने खेल मैदान से लगभग 200 मीटर उत्तर पश्चिम में इसी साबिक आराजी नम्बर 348 के क्षेत्र में कर दिया जो [illegible] पर उक्त तरमीम जमीन में खडडे व खान होकर खेल मैदान नही हैं [illegible] तर[illegible] गलत होकर शुद्धी योग्य हैं । आंवटन मिसल से आंवटन के दौरान प्रस्तावित [illegible] की प्रतिलिपि ली गयी । जो सलंग्न पत्रावली हैं। उक्त खेल मैदान के [illegible] के साथ भी नक्शा [illegible] नही हैं । मौके पर स्थित खेल मैदान आराजी नम्बर 1204/577 रकबा 12.47 [illegible] माईनिंग लीज मै0 वंडर सीमेन्ट के नाम दर्ज रिकार्ड है एवम् हाल आराजी नम्बर 578 ([illegible] स्कूल खेल मैदान) जहां तरमीम हैं वहां भूमि पडत होकर खडडेदार हैं एवम् माईनिंग लीज वंडर सीमेंट के क्षैत्र में हैं । उक्त आराजी नम्बर हाल 578 भी साबिक आराजी नम्बर 348 का ही भाग होकर माईनिंग लीज मै0 वंडर सीमेंट का ही क्षैत्र हैं । अतः मौका खेल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

मैदान व संलग्न रिकार्ड मौजा कारूण्डा की हाल आराजी नम्बर 578 रकबा 1.27 है० खेल मैदान की तरमीम प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार हाल आराजी नम्बर 667 से लगी हुई आराजी नम्बर 1204/577 (जो कि साबिक आराजी नम्बर 348 से ही बना हैं) रकबा 12.47 हे0 माइनिंग लीज वंडर सीमेंट लि0 में दर्ज किया जाना व हाल आराजी न 578 रकबा 1.27 हे0 की वर्तमान तरमीम स्थान को माईनिंग लीज वंडर सीमेंट दर्ज किया जाना उचित हैं । इससे केवल तरमीम शद्धी होकर मौकानुसार होगी विद्यालय खेल मैदान व माईनिंग लीज में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नही होगी । प्रस्तावित तरमीन नक्शा ट्रेस तीन प्रति में संलग्न हैं ।

2. प्रकरण में रिकार्ड एंव मौका की जांच हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट मौका पर तलब की गयी । जांच रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार उक्त प्रकरण में ग्राम कारूण्डा के साबिक आराजी नम्बर 348 मे से 5 बीघा भूमि का खेल मैदान हेतु आवंटन 1997 में श्रीमान् जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ द्वारा किया हुआ हैं । आवंटन के समय से ही विद्यालय का खेल मैदान कारूण्डा से धनोरा जाने वाली सडक के पास उत्तर दिशा में होकर पक्की बाउण्ड्री वाल बनी हुई हैं और खेल मैदान के उपयोग हो रही हैं । मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त खेल मैदान के आराजी नम्बर 968/348 के नवीन भू प्रबंध में आराजी नम्बर 578 रकबा 1.27 है0 में बने होकर प्रार्थी राज0 संस्कृत उच्च0मा0 वि0 कारूण्डा के नाम दर्ज हैं । उक्त खेल मैदान के बटा नम्बर 968/348 का गत भू प्रबंध पटवार हल्का नक्शा में तरमीन नही हुआ था । आराजी नम्बर 348 बडे रकबे का होने से नवीन भू प्रबंध में उक्त खेल मैदान का तरमीन मौका पर बने खेल मैदान से लगभग 200 मीटर उत्तर पश्चिम इसी साबिक आराजी नम्बर 348 के क्षेत्र में कर दिया जो निराधार होकर मौके पर उक्त तरमीम की गई जमीन में खडडे व खान होकर खेल मैदान नही हैं अतः तरमीम गलत होकर शुद्धी योग्य हैं । आंवटन मिसल से आंवटन के दौरान प्रस्तावित नक्शा की प्रतिलिपि ली गयी । जो सलंग्न पत्रावली हैं। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा गहन अध्ययन करने हेतु शिविर के दौरान ही वर्तमान उक्त खेल मैदान व खेल मैदान के नाम दर्ज आराजी नम्बर 578 रकबा 1.27 का मौका हमराह पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक कारूण्डा, विद्यालय स्टाफ व मौतविरान के मौका देखा । मौका पर प्रार्थना पत्र व जांच रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे राजकीय उच्च मा0 संस्कृत वि0 कारूण्डा का खेल मैदान कारूण्डा से धनोरा जाने वाली सडक से उत्तर दिशा में सरकारी भवनों से लगा हुआ हैं । खेल मैदान के चारो तरफ 5–6 फीट उंची पक्की दिवार बनी हुई हैं जो लगभग 7–8 वर्ष पुरानी होना दिखाई देती हैं । उपस्थित ने बताया कि यह खेल मैदान नियमित रूप से उक्त विद्यालय में खेल मैदान हेतुं उपयोग हो रहा हैं ।

साथ ही वर्तमान में विद्यालय के खेल मैदान के नाम पर दर्ज आ0न0 578 की भू प्रबंध द्वारा की गयी तरमीम का मौका भी देखा गया । मौका पर यह भूमि खेल मैदान के लिए उपयुक्त नही होकर खड्डेदार हैं और वर्तमान खेल मैदान से लगभग 200 मीटर दूरी पर हैं । उपस्थित से जाहिर आया कि यहां कभी कोई खेल मैदान नही रहा हैं । यह भूमि हमेशा से ही पड़त होकर खनन में प्रयोग होती रही हैं । यहां खेल मैदान का आंवटन नही हुआ था । जहां वर्तमान में [illegible] मौका पर प्रस्तावित नक्शानुसार हैं वही पर आंवटन के समय [illegible] जांच में जाहिर आया हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने प्रकरण में रिकार्ड की जांच हेतु शिविर में तहसीलदार निम्बाहेड़ा एंव पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक कारूण्डा से उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर तरमीम शुद्धी हेतु जांच करवायी मौका पर रिकार्ड का अवलोकन शिविर में करवाया गया । आवंटन के समय मिसल आंवटन के साथ संलग्न प्रस्तावित खेल मैदान का निरीक्षण की नकल का

उपखण्ड अधिकारी

अवलोकन किया गया जिसे कोई पडोस आराजी न0 का अंकन का नक्शा नकल में नही होने से आंवटन स्थान की स्थिति स्पष्ट नही होती हैं । वर्तमान में खेल मैदान आराजी नम्बर 1204/577 रकबा 12.47 है0 मै0 वंडर सीमेंट लि0 माईनिंग लीज की आराजी में बना हुआ हैं जो कि साबिक मूल आराजी नम्बर 348 से ही बना हैं । तथा वर्तमान आराजी नम्बर 578 का तरमीम स्थान भी आराजी नम्बर साबिक 348 माईनिंग लीज मे0 वंडर सीमेंट लि0 का ही हैं । अतः माईनिंग लीज क्षेत्र रकबा में किसी प्रकार की कमी पेशी नही होगी । अतः प्रार्थी राजकीय संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, कारूण्डा जरिए प्रधानाचार्य द्वारा पेश प्रार्थना पत्र जिसमें विद्यालय के खैल मैदान की भू–प्रबन्ध के बाद गलत तरमीम को सही की जाकर वर्तमान मौके अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

1. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि राजकीय संस्थान एंव खेल मैदान की स्थिति मौका कब्जा व माईनिंग लीज भूमि व खेल मैदान की भूमि में किसी प्रकार की कमी–बेशी नही होने से तथा मौका पर किसी का कब्जा में दखल नही होने से शिविर में ही बाद जांच प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कारूण्डा की हाल आराजी नम्बर 578 रकबा 1.27 हे0 जो खेल मैदान के नाम से दर्ज हैं । मांईनिंग लीज मै0 वंडर सीमेंट लि0 के नाम दर्ज किया जावें तथा आराजी नम्बर 1204/577 रकबा 12.47 हे0 मांईनिग लीज मैं0 वंडर सीमेंट लि0 में से राजकीय संस्कृत उ0मा0वि0 कारूण्डा के खेल मैदान के नाम रकबा 1.27 हे0 प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 27.4.2023 को कैम्प कोर्ट कारूण्डा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

27/4/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी (न्याय) निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested